प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाडमेर** थाना:– **सीपीएस एसीबी जयपुर वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या........453/22........ दिनांक........26/11/2022
2. (1) अधिनियम **पी0सी0एक्ट** धारा :–**7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
(3) अधिनियम .... धाराये :–..
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........458........समय........12:30 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– दिनांक **25.11.2022** समय **4.01 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक **23.11.2022** समय **2.47 पी0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिशा दक्षिण करीबन 100 किलोमीटर**
(ब) पता :– **जी0एस0एस0 रतनपुरा(गुड़ामालानी) जिला बाड़मेर स्थित कार्यालय कक्ष**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता
(अ) नाम :– **श्री रुपाराम**
(ब) पिता का नाम :– **श्री डालूराम**
(स) जन्मतिथि / वर्ष :– **उम्र 28 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी................................
(र) व्यवसाय :– **खेती**
(ल) पता :– निवासी कुडा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
मोबाईल नम्बर 9784667664 एवं 9023040957
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
श्री रुकमकेश मीना पुत्र श्री श्रवणलाल मीना उम्र 30 वर्ष जाति मीना निवासी गांव पोस्ट सेवा तहसील व पुलिस थाना बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल तकनीकी सहायक, जी0एस0एस0 रतनपुरा(गुड़ामालानी) मोबाईल नम्बर 8432687273 व 9950298482 एवं अन्य।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :– **ट्रेप राशि 10,000 रुपये**
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान अतिरिकत पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरों
बाड़मेर

विषय – रिश्वत लेते रगें हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदय,

मैं रुपाराम पुत्र डालुराम जी जाति जाट निवासी कुडा रतनपुरा तह. गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का निवासी हूॅ। मेरे पिताजी के नाम से थ्री फेस कृषी कनेशन लिया हुआ है। वहा पर अभी कुएँ का पानी खारा होने के कृषी कनेशन अन्य जगह शिफ्ट करवाने हेतु फाईल बनाकर गुडामालानी विद्युत विभाग में 19/10/2022 को जमा करवाई थी फीर बार–बार गुड़ामालानी GSS में चक्कर काटने पर आठ–दस दिन पहले मोका रिपोर्ट त्यार करने पर शिफ्टीगं रसीद सं. 520 दिनांक 21/11/2022 को 75 रुपये की कटवाकर JEN सर से मिला तो उनहोने बताया कि बार–बार चककर काटने से कोई मतलब नहीं है। आप लाईन मैन रतनपुरा श्री रुखमकेश मिणा से मिलों वो आपकों बता देगा। मैनें इस बारे में उस को बोल दुगॉ। उसके बाद मै रतनपुरा GSS मे रुकमकेश मिणा लाईन मैन से मिला तो उन्होने बताया कि जल्दी कृषी कनेशन शिफ्ट करने के लिए 20,000 रुपये देने पडेगे इस लिए मै रिश्वत नहीं देकर उनको रिश्वत लेते हुए रगें हाथो पकडवाना चाहता हुॅ।

संलग्न 1 रसीद 75 रुपये
दिनांक 24/11/2022

एसडी/–
रामनिवास
25/11/2022

एसडी/–
सवाईराम
25/11/2022

एसडी/ सवाईराम
25/11/2022

भवदीय
एसडी/– रुपाराम
न. 9784667664
9023040957

कार्यवाही पुलिस दिनांक 23.11.2022 वक्त 02.47 पी0एम0 केम्प जैसलमेर

इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकार्य से जैसलमेर मुख्यालय आया हुआ हूँ। ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री वाट्सअप नम्बर 9413502834 पर परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर ब्यूरो मुख्यालय से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायर्तकर्ता के मोबाईल नम्बर 9784667664 प्राप्त हुए है एवं ब्यूरो मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए कि उक्त मोबाईल धारक जो गोपनीय कार्यवाही करवाना चाहता है, आप उक्त मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लावे, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 02.50 पी0एम0 पर अपने मोबाईल नम्बर 9649911773 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9784667664 वार्ता की तो वार्ता करने वाले व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्री रुपाराम निवासी रतनपुरा गुड़ामालानी होना बताया। वार्ता के दौरान परिवादी की आवाज साफ नहीं आने पर परिवादी श्री रुपाराम ने कहा कि मैं अन्य मोबाईल नम्बर से आपसे कुछ समय बाद वार्ता करता हूँ। कुछ समय बाद परिवादी श्री रुपाराम ने मोबाईल नम्बर 9023040957 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि उक्त मोबाईल नम्बर मेरे परिचित के है, जिससे मैं वार्ता कर रहा हूँ एवं बताया कि मेरे पिताजी के नाम से एक कृषि कनेक्शन रतनपुरा गुड़ामालानी आया हुआ है। उक्त थ्री फेस कृषि कनेक्शन को मुझे अन्य जगह पर स्थानान्तरित करवाना था, क्योकि पहले जहॉ पर कनेक्शन था वहा पर उसमें खारा पानी आ गया। मैने थ्री फेज विद्युत कनेक्शन को शिफ्टिंग करवाने के लिये दिनांक 19.10.2022 को डिस्कॉम गुड़ामालानी में फाईल जमा करवाई उसके बाद मैं ती–चार बार उससे मिला तो उसने कहा कि आपका काम कर देंगे। दिनांक 21.11.2022 को जेईएन श्री अभय मीणा से मिला तब उसने कहा कि आपका कनेक्शन शिफ्ट कर देंगे, आप बार–बार चक्कर मत काटो काम, काम के तरीके से होता है, उसके अनुसार आना, आपका काम हो जायेगा। मैने उनसे पूछा तो बताया कि आप अपने लाईनमैन से मिलो मैं उसको बता दूंगा, क्या करना है। उसके बाद मैने उसी रोज डिस्कॉम गुड़ामालानी में 75रुपये की रसीद कटवाकर लाईनमैन श्री रुकमकेश मीणा से रतनपुरा जीएसएस में मिला तो उसने पहले 20,000रुपये एवं उसके बाद कुछ कम करने का कहने पर मेरे से 15,000रुपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, उसके विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ, जिस पर परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर उपस्थित होने का कहने पर उसने बताया कि मैं खेती एवं अन्य कार्य अधिक होने से मैं वहॉ उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अवगत करवाया कि कल दिनांक 24.11.2022 को मेरे कार्यालय का कार्मिक श्री लालाराम कानि0 रतनपुरा पहुच आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लेगा, आप उसे आपका जायज कार्य करने की एवज में रिश्वत मांगने वाले जेईएन एवं लाईनमैन के विरुद्व कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर लाईनमैन के पास जाकर उसके रिश्वती राशि मांग बाबत वार्ता कर उक्त वार्ता को श्री लालाराम कानि0 द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात से अवगत करवाए एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरते। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी जैसलमेर से ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुचा।

दिनांक 24.11.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री रुपाराम ने मोबाईल नम्बर 9023040957 से वार्ता कर बताया कि लाईनमैन अभी यही पर उपस्थित है, जो मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर लेगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अवगत करवाया कि चौकी का कार्मिक श्री लालाराम कानि0 आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर आपके पास अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जायेगा, जिसे मैं अभी कुछ ही समय में रवाना कर रहा हूँ, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री लालाराम कानि0 को कार्यालय में तलब कर परिवादी श्री रुपाराम के मोबाईल नम्बर सुपूर्द कर उससे सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करवाने हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर अलमारी से निकालकर खाली होना सुनिश्चित कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु रतनपुरा (गुड़ामालानी) जाने की हिदायत दी एवं श्री लालाराम कानि0 को बताया कि आप परिवादी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर उनसे बंद लिफाफे में शिकायत प्राप्त कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन की समझाईश कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर अग्रिम हालात से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाये। दिनांक 24.11.2022 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाट्सअप नम्बर पर श्री लालाराम कानि0 ने वार्ता कर अवगत करवाया कि मैने रतनपुरा पहुच परिवादी से प्रार्थना पत्र बंद लिफाफे में प्राप्त कर लिया है एवं परिवादी एवं लाईनमैन के मध्य परिवादी के पैण्डिंग कार्य के सम्बंध में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप हो गई है, जिसे परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है एवं परिवादी ने बताया कि आरोपी ने उससे 10,000रुपये रिश्वत की मांग की है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लालाराम कानि0 को परिवादी से वार्ता करवाने का कहने पर श्री लालाराम ने स्वयं के मोबाईल से लगातार वार्ता

करवाते हुए परिवादी ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप होने की तथ्य अवगत करवाये, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो चौकी पर अग्रिम कार्यवाही बाबत उपस्थित होने बाबत पाबंध किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000रुपये है। मैं यहॉ से रवाना होकर आज सायं बाड़मेर में अपने परिचित के पास रुक जाउंगा एवं प्रातः आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा, जिस पर परिवादी को दिनांक 25.11.2022 को प्रातः 8.30 ए0एम0 पर उपस्थित होने बाबत पाबंध किया एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत हुई एवं श्री लालाराम कानि0 को अविलम्ब ब्यूरो चौकी उपस्थित होने बाबत पाबंध किया। दर्ज रहे कि परिवादी से हुई वार्ता अनुसार दिनांक 25.11.2022 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही को देखते हुए स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए एव बी, बाड़मेर के नाम तेहरीर क्रमांक 2026 दिनांक 24.11.2022 मूर्तिब कर श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 को दो स्वतंत्र गवाह पाबंध कर दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 25.11.2022 को प्रातः 8.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी में उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाने हेतु रवाना किया। श्री रघुवीरसिंह कानि0 दो स्वतंत्र गवाह पाबंध करवाने हेतु गया हुआ उपस्थित आया एवं बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग बाड़मेर से श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री सवाईराम कनिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाह पाबंध आदेश करवाकर दोनो गवाहान को दिनांक 25.11.2022 को प्रातः8.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध करवाकर उपस्थित आया हूँ। दिनांक 24.11.2022 को समय 6.30 पी0एम0 पर श्री लालाराम कानि0 नं 328 ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ एवं एक बंद लिफाफा एवं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। बंद लिफाफे को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर श्री लालाराम कानि0 ने अवगत करवाया कि ब्यूरो चौकी से रवाना होकर परिवादी से मोबाईल वार्ता अनुसार रतनपुरा फांटा पर पहुचा, जहॉ परिवादी पूर्व से उपस्थित मिला, जिसने मुझे एक बंद लिफाफे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उक्त स्थान से रवाना होकर रतनपुरा जी0एस0एस0 के पास पहुचे। तत्पश्चात मन् कानि0 ने परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर ऑपरेट करने की समझाईश कर टेप रिकार्डर को चालू कर परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु सुपूर्द किया एवं मन् कानि0 वही पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। करीबन 15 मीनट पश्चात परिवादी पुनः मेरे पास उपस्थित आया एवं डिजिटल टेप रिकार्ड मन् कानि0 को सुपूर्द किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर स्वयं के कब्जे में लिया एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि श्री रुकमकेश मीणा लाईनमैने से मेरी थ्री फेस कृषि कनेक्शन को शिफ्ट करवाने की एवज में मेरे से रिश्वत मांगने की वार्ता हुई, उसने मेरे से पहले 15,000रुपये रिश्वत मांग की वार्ता की एवं तत्पश्चात 10,000रु रिश्वती प्राप्त करने की सहमति दी है, जिसे मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है। तत्पश्चात परिवादी से हुई वार्ता अनुसार मन् कानि0 ने आपको जरिये वाटसअप कॉल वार्ता कर रिश्वती राशि मांग से सम्बंधित हालात निवेदन किये एवं परिवादी से भी वार्ता करवाई थी। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता पश्चात मन् कानि0 एवं परिवादी बाड़मेर तक साथ आए एवं परिवादी दिनांक 25.11.2022 को प्रातः 8.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हो जायेंगा। श्री लालाराम कानि0 द्वारा बताये तथ्यो पर डिजिटल टेप रिकार्ड को ऑन कर सुनने पर बताये गये तथ्यो की ताईद हुई एवं आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000रुपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा।

दिनांक 25.11.2022 को ब्यूरो चौकी बाड़मेर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में परिवादी श्री रुपाराम पुत्र श्री डालुराम जाति जाट निवासी कुडा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9784667664 एवं 9023040957 उपस्थित हुआ एवं अवगत करवाया कि आरोपी श्री रुकमकेश मीणा लाईनमैन द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि 10,000रुपये साथ लेकर आया हूँ एवं पूर्व पाबंध सुदा श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री सवाईराम कनिष्ठ सहायक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए। पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रुपाराम के समक्ष दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनसे परिचय पूछने पर उन्हौने अपना परिचय श्री ओमाराम पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी ऐडोवाला सोडियार तहसील चौहटन जिला बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग वृत –ब, बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9694358649 एवं श्री सवाईराम पुत्र श्री मंगनाराम जाति मेघवाल निवासी मोराला(कोलू) तहसील बायतु जिला बाड़मेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग वृत–अ, बाड़मेर मोबाईल नम्बर 7742138781 होना बताया, जिस पर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रुपाराम को दोनो गवाहान से परस्पर परिचय करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो बंद लिफाफे में था एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर उक्त बंद लिफाफे को उपस्थितान के समक्ष खुलवाकर उक्त प्रार्थना पत्र मय संलग्न को

मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़कर परिवादी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के हालात पूछे, जिस पर परिवादी ने पूर्व में अवगत करवाये तथ्यो की ताईद की, परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि " मेरे पिताजी के नाम से थ्री फेस कृषि कनेक्शन लिया हुआ है। वहा पर अभी कुएँ का पानी खारा होने के कृषि कनेक्शन अन्य जगह शिफ्ट करवाने हेतु फाईल बनाकर गुडामालानी विद्युत विभाग में 19/10/2022 को जमा करवाई थी फीर बार–बार गुड़ामालानी जीएसएस में चक्कर काटने पर आठ–दस दिन पहले मौका रिपोर्ट तैयार करने पर शिफ्टींग रसीद सं. 520 दिनांक 21/11/2022 को 75 रुपये की कटवाकर जेईएन सर से मिला तो उनहोने बताया कि बार–बार चक्कर काटने से कोई मतलब नहीं है। आप लाईन मैन रतनपुरा श्री रुखमकेश मिणा से मिलों वो आपको बता देगा। मैनें इस बारे में उसको बोल दुगॉ। उसके बाद मै रतनपुरा जीएसएस मे रुकमकेश मीना लाईन मैन से मिला तो उन्होने बताया कि जल्दी कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने के लिए 20,000 रुपये देने पडेगें इसलिए मै रिश्वत नहीं देकर उनको रिश्वत लेते हुए रगें हाथो पकडवाना चाहता हुँ" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढ़ाया गया। दोनो गवाहान ने भी परिवादी से उक्त शिकायत के तथ्यो के सम्बंध में वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी की उपस्थिति में दोनो गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एंव वार्तालाप में सत्यापन से संबधित अंशो को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति दी।

तत्पश्चात दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री रुपाराम पुत्र श्री डालुराम जाति जाट निवासी कुडा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9784667664 एवं 9023040957 को आरोपी श्री रुकमकेश मीना लाईनमैन रतनपुरा जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी जिला बाड़मेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी श्री रुपाराम ने आरोपी श्री रुकमकेश मीणा लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाले राशि पॉच–पॉच सौ रुपये के 13 नोट, दो–दो सौ रुपये के 17 नोट एवं एक सौ रुपये का 01 नोट कुल 10,000रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 से उक्त 10,000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री रुपाराम की जामा तलाशी गवाह श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री रुपाराम के पहनी हुई जींस पेन्ट की आगे की बायीं जेब में श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री रुकमेश मीणा लाईनमैन के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री रघुवीरसिंह कानि0 143 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना–अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती

राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिंह कानि0 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया, जिसकी फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बंधित को पढकर सुनाई गई। सुन–समझ सही होना मान कर सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। ताबाद एक प्राईवेट वाहन बाबत वार्ता कर इरटिगा वाहन ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु बाजार से बुलवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.11.2022 को समय 11.00 ए0एम0 पर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रघुवीरसिंह कानि0 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोडा जाकर मन् रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री रुपाराम, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री सवाईराम कनिष्ठ सहायक ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 62, श्री सुराब खां कानि0 नं0 499, श्री ठाकराराम कानि0, श्री लालाराम कानि0 328, श्री अनूपसिंह कानि0 नं0 397, मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री तथा डिजीटल टेप रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 9364 व वाहन चालक श्री बांकाराम कानि0 584 एवं प्राईवेट इरटिगा वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार रतनपुरा(गुड़ामालानी) रवाना होकर उपरोक्त फिकरा का रवानां सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के रतनपुरा फांटा से पहले पुलिया के पास पहुचे। परिवादी ने अपने सूत्रो से एक मोटरसाईकल की व्यवस्था की एवं अपने सूत्रो से ज्ञात कर बताया कि श्री रुकमकेश मीना अभी जी0एस0एस0 पर उपस्थित नहीं है, वह जी0एस0एस0 पर ही लेन–देन करता है। उसके वहॉ आने पर ही अग्रिम कार्यवाही होगी, जिस पर आरोपी के उपस्थित आने एवं रिश्वती राशि लेन–देन पश्चात श्री अभय मीना से वार्ता होने पर उसे दस्तयाब करना आवश्यक होने की सम्भावना को देखते हुए श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 को सरकारी वाहन से कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी के लिए रवाना किया एवं पाबंध किया कि रिश्वती राशि लेन–देन होने के पश्चात अगर आरोपी श्री अभय मीना जेईएन से वार्ता करता है तो उसे दस्तयाब कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित आवें बाबत हिदायत देकर रवाना किया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं शेष ट्रेप दल के सदस्य रतनपुरा के आस पास आगे–पीछे जालोर रोड पर गोपनीयता बरतते हुए मुकीम हुए। कुछ समय बाद परिवादी श्री रुपाराम ने बताया कि मैने दो–तीन बार आरोपी श्री रुकमकेश मीना से जी0एस0एस0 आने बाबत वार्ता की तो उन्हौने कहा कि मैं वहॉ आकर आपको कॉल कर दूंगा, अब वह अपने कार्यालय जी0एस0एस0 में उपस्थित हो गया है, जो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 को जोधपुर डिस्कॉम गुडामालानी के कार्यालय के नजदीक मुस्तैदी से रहने बाबत हिदायत हुई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के जी0एस0एस0 रतनपुरा(गुड़ामालानी) के पास पहुचा। परिवादी श्री रुपाराम को ब्यूरो चौकी का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर रिश्वती राशि लेन–देन हेतु जी0एस0एस0 रतनपुरा की तरफ भेजा एवं परिवादी को पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे की हिदायत की। परिवादी श्री रुपाराम के पीछे–पीछे श्री सुराबखां कानि0 एवं श्री सवाईराम स्वतंत्र गवाह को भेजा एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमरायान के परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में जी0एस0एस0 के पास खडे वाहने में बैठे मुकीम हुए।

तत्पश्चात दिनांक 25.11.2022 को मौतबिरान के रूबरू समय करीबन 4.01 पी0एम पर परिवादी श्री रुपाराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा श्री लालाराम कानि0 के मोबाईल पर मिस कॉल कर किया, जिस पर श्री लालाराम कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल कर रिश्वती राशि का आदान–प्रदान होने बाबत सूचित किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के जी0एस0एस0 रतनपुरा (गुड़ामालानी) के मुख्य परिसर से अन्दर प्रवेश कर सामने स्थित कार्यालय कक्ष के सामने पहुचा, जहॉ परिवादी श्री रुपाराम सामने कक्ष में चारपाई पर बैठा मिला, परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर कब्जे में लिया। उसी कक्ष में एक टेबल–कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा था, जिसकी तरफ परिवादी श्री रुपाराम ने ईशारा कर बताया कि यह ही श्री रुकमकेश मीना लाईनमैन रतनपुरा है, जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथ में लेकर गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की बायीं जेब में रखी है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री रुकमकेश मीना पुत्र श्री श्रवणलाल मीना उम्र 30 वर्ष जाति मीना निवासी गांव पोस्ट सेवा तहसील व पुलिस थाना बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल तकनीकी सहायक, जी0एस0एस0 रतनपुरा(गुड़ामालानी) मोबाईल नम्बर 8432687273 व 9950298482 होना एवं विगत 4–5 वर्ष से जी0एस0एस0 रतनपुरा में पदस्थापित होना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि

प्राप्त की है, जिस पर आरोपी ने बताया कि मैं इनको जानता हूँ, यह रुपाराम निवासी कुडा है, इसके पिताजी के नाम थ्री फेस कृषि कनेक्शन की शिफ्टींग की फाईल सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी में जमा करवाई हुई है, जिस पर श्री अभयसिंह मीणा एवं धनजी वरिष्ठ सहायक जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी ने मुझे इससे वार्ता कर पहले 12000रुपये लेने का कहा था, जिस पर यह कल मेरे पास आया था एवं बोला कि मेरे कनेक्शन की डी0पी0 शिफ्ट करवानी है, मुझे श्री अभय मीणा ने आपके पास भेजा है और बात करने का कहा है, जिस पर मैने इसे काम करवाने के लिए जेईएन साहब के लिये 12000रुपये देने का कहा, इसने कम करने का कहने पर मैने 10,000--11,000 रुपये देने का कहा था, आज यह मेरे पास आया उससे पहले इसने मुझे दो–तीन बार कॉल किये, जिस पर मैं जी0एस0एस0 पर पहुचा, तब यह मेरे पास आया एवं मुझे 10,000रुपये दिये, जिसे मैने गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की जेब में रखी, जो मेरे जेब में रखी है। मैने इनसे स्वयं के लिए पैसे नहीं लिये है। जेईएन साहब व धनजी वरिष्ठ सहायक के कहने पर उनके लिए लिये है। मेरी गलती हो गई, मुझे बचावों। पास ही उपस्थित परिवादी ने स्वैच्छा से बताया कि मैं दिनांक 21.11.2022 को मेरे कार्य करवाने के लिए श्री अभय मीणा जेईएन से मिला तो उन्हौने मुझे श्री रुकमकेश लाईनमैन से मिलने का कहा एवं कहा कि वह जैसा कहे, वेसा कर दैना, तेरा काम हो जायेगा, जिस पर मैं श्री रुकमकेश से मिला तो उसने मेरे से स्वयं एवं जेईएन के लिए 20,000रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मैने कुछ कम करने का कहा तो 15,000रुपये देने का बोला जिस पर मैने आपके विभाग को शिकायत की एवं कल रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान मेरे पिताजी के थ्री फेस कृषि कनेक्शन को शिफ्ट करवाने की एवज में श्री रुकमकेश मीना ने 15,000रुपये रिश्वत की मांग की एवं मेरे द्वारा लास्ट 10,000रुपये देने का कहने पर उसने मुझे 10,000–11,000रुपये देने को कहा, जिस पर मैने 10,000रुपये देने का कहा, जिस पर इन्हौने सहमति प्रदान करने पर आज मेरे से 10,000रुपये रिश्वत की मांग कर नोटो को गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की बायीं जेब में रखे है, जो अभी भी इसकी जेब में है। इसके बाद मैने बाहर आकर श्री लालाराम कानि0 को मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा किया, जिस पर आप लोग उपस्थित आ गए थे। श्री रुकमकेश मीना को परिवादी के पिताजी की फाईल के सम्बंध में पूछने पर श्री रुकमकेश मीना ने बताया कि इनकी फाईल कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी के कार्यालय में होगी। उक्त पत्रावली मेरे पास नहीं रहती, मेरा काम एक फीडर से दूसरे फीडर पर शिफ्ट करने का था, मुझे धनजी ने जेइएन साहब के कहे अनुसार बोला था कि जब रुपाराम पैसे दे दे, तो फीडर चेंज कर देना। मेरे छोटे–छोटे बच्चे है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तत्पश्चात रतनपुरा स्थित जी0एस0एस0 कक्ष में ही आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में उनके कार्यालय कक्ष से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो गिलासो में आधा--आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री रुकमकेश मीना के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा--आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री रुकमकेश मीना के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-- आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच–1 व एल.एच–2 अंकित किया गया। आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक द्वारा रिश्वत राशि अपने पहने हुए शर्ट की बायीं जेब में रखना बताने पर स्वतंत्र गवाह श्री सवाईराम कनिष्ठ सहायक से आरोपी श्री रुकमकेश मीना कनिष्ठ सहायक की तलाशी लिरवाई जाने पर उनके पहने हुए शर्ट की बायीं जेब में एक नोटो का बण्डल मिला, जिसमें जिन्हें गिनवाने पर पॉच सौ–पॉच सौ रुपये के 13 नोट, दो--दो सौ रुपये के 17 नोट एवं एक सौ रुपये का 01 नोट कुल राशि 10,000रुपये नकद होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि का मिलान अन्य गवाह श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक को पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी दी जाकर नोटो के नम्बरो का मिलान करवाने पर हुबहु होना पाये गये, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में एक पर्स मिला, जिसमें आरोपी का स्वयं का आधार कार्ड, लाईसेंस एवं वीवो वाई–33 मोबाईल एवं हाथ घडी होना पाया गया। पर्स में कुल 3200रुपये नकद पाये गये, उक्त राशि एवं मोबाईल के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने उक्त मोबाईल में एयरटेल सीम नम्बर 8432687273 एवं दूसरी सीम जीयो नम्बर

ध्यान

9950298482 होना बताया एवं उक्त राशि स्वयं के निजी खर्च की होना बताया। उक्त मोबाईल को स्वीच ऑफ कर आरोपी श्री रुकमकेश मीना को सुपूर्द किया गया एवं हाथ घड़ी, पर्स, राशि 3200रुपये एवं अन्य समस्त दस्तावेजात भी पुनः आरोपी को सुपूर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपी के पहने हुए शर्ट की बायी जेब से रिश्वती राशि प्राप्त होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के कार्यालय कक्ष से एक अन्य शर्ट की व्यवस्था करवाकर पहने हुए शर्ट को उतरवाया जाकर दूसरा शर्ट पहनने हेतु दिया गया एवं उक्त शर्ट की बायीं जेब का धोवन लेना प्रारम्भ किया। रतनपुरा जी0एस0एस कार्यालय से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में आधा साफ पानी भरकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमें आरोपी की पहने हुई शर्ट की बायीं जेब जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उल्टवाकर उक्त गिलास में निचोड़ा गया, जिससे धोवन का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भर सील मोहर कर चेपो पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस–1 व एस–2 अंकित किया गया एवं उक्त शर्ट को सुखाकर उक्त बायीं जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर किया। आरोपी श्री रुकमकेश मीना द्वारा रिश्वती राशि जेईएन के लिए प्राप्त करने एवं मोबाईल पर वार्ता करवाने का कहने पर आरोपी के मोबाईल से श्री अभय मीना जेईएन के मोबाईल पर कॉल करवाकर आरोपी श्री रुकमकेश मीना के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिर्काडर में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान श्री अभय मीना को रुकमकेश मीना ने कहा कि डूलजी वाला लड़का आया था रुपाराम, 10 हजार रुपये दिये है, जिस पर श्री अभय मीना ने कहा कि कर दी होगी, दे दी होगी सेंक्सन, जिस पर रुकमकेश मीना ने कहा मुझे तो पता नही है, जिस पर जेईएन ने कहा कि मैं पूछकर बताता हूँ इत्यादि वार्ता की। आरोपी श्री रुकमकेश द्वारा पुनः कॉल कर वार्ता करने पर एक बार फोन को कट कर दिया एवं पुनः कॉल लगाने पर श्री अभय मीना ने कहा कि सेंक्शन हो जायेगी, किसी से पैसे वेसे नहीं लेने है, इत्यादि वार्ता की। उक्त वार्ता से श्री अभय मीना द्वारा प्रथम वार्ता में किसी प्रकार से रिश्वत नहीं लेने की स्पष्ट मनाही नहीं की एवं द्वितीय वार्ता में रिश्वत नहीं लेने का कहा, किन्तु परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वती राशि लेन–देन के पश्चात दो बार हुई मोबाईल वार्ता से श्री अभय मीना कनिष्ठ अभियन्ता की भूमिका संदिग्ध होने से अग्रिम अनुसंधान के दौरान इनकी भूमिका पर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा। ताबाद श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 मय सरकारी वाहन के परिवादी के पिताजी श्री डालूराम के नाम थ्री फेस कृषि कनेक्शन पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी से प्राप्त कर सुपूर्द की, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यावाही विरुद्व श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक, जी0एस0एस0 रतनपुरा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में परिवादी श्री रुपाराम की निशादेही पर नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं आरोपी द्वारा उक्त जी0एस0एस0 रतनपुरा में ही कक्ष में निवास करना बताने पर उक्त कक्ष की खाना तलाशी मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रुकमकेश मीना पुत्र श्री श्रवणलाल मीना उम्र 30 वर्ष जाति मीना निवासी गांव पोस्ट सेवा तहसील व पुलिस थाना बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल तकनीकी सहायक, जी0एस0एस0 रतनपुरा(गुड़ामालानी) मोबाईल नम्बर 8432687273 व 9950298482 के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.11.2022 को समय 6.40 पी0एम0 पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उनके सहकर्मी श्री सुखराम इंजिनियरिंग सुपरवाईजर को दी गई। आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक का मोबाईल, हाथ घड़ी, पर्स व 3200रुपये रिश्वती एवं अन्य दस्तावेजात आरोपी के कहे अनुसार श्री सुखराम इंजिनियरिंग सुपरवाईजर को सुपूर्द किये गये। ट्रेप कार्यवाही में मौके की समस्त कार्यवाही सम्पूर्ण होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी श्री रुपाराम, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक, दोनो हाथो एवं शर्ट के धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 10,000रुपये, शर्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, आरोपी के पैण्डिंग कार्य की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ इत्यादि एवं ब्यूरो दल सदस्यों के प्राईवेट इरटिंगा वाहन के ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिए रवाना हुए। जी0एस0एस0 रतनपुरा के कार्यालय कक्ष की चाबी सुखराम इंजिनियरिंग सुपरवाईजर को सुपूर्द की। श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री बांकाराम कानि0 एवं परिवादी श्री रुपाराम को सरकारी बोलेरो वाहन से कार्यालय

सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी से आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पहुँचने की हिदायत हुई। ट्रेप कार्यवाही में शेष रही कार्यवाही ब्यूरो चौकी पहुच सम्पन्न की जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 25.11.2022 को समय 9.30 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री रुकमकेश मीना, ब्यूरो दल सदस्य श्री ठाकराराम कानि0, श्री सुराबखां कानि0 श्री अनूपसिंह कानि0 के प्राईवेट वाहन से दोनो हाथो एवं शर्ट के धोवन के प्रादर्श, डिजिटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 10,000रुपये, शर्ट का सिल चिट युक्त पैकेट, आरोपी के पैण्डिंग कार्य की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ इत्यादि के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित हुआ। कुछ समय बाद श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0, श्री लालाराम कानि0, श्री बांकाराम कानि0 एवं परिवादी श्री रुपाराम के सरकारी बोलेरो वाहन ब्यूरो चौकी बाड़मेर उपस्थित हुए एवं आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक का सेवा विवरण प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी के दोनो हाथो के धोवन के प्रादर्श मार्क आरएच–01, आरएच–02, एलएच–01, एलएच–02, एवं शर्ट के धोवन के प्रादर्श एस–01 एवं एस–02, सिल चिट युक्त रिश्वती राशि 10,000रुपये, शर्ट का सिल चिट युक्त पैकेट श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाया गया। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री रुकमकेश मीना का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षित जमा हवालात करवाने हेतु पुलिस थाना कोतवाली के लिए तेहरीर मूर्तिब कर ब्यूरो दल सदस्य श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0, श्री रघुवीरसिंह कानि0 एवं बाकाराम कानि0 के मय सरकारी बोलेरो वाहन के रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री रुपाराम एवं आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक, जीएसएस रतनपुरा(गुडामालानी) के मध्य दिनांक 24.11.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री ठाकराराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री रुकमकेश मीना एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री रुपाराम द्वारा की गई। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा। ताबाद श्री मोहम्मद हनीफ एवं श्री बांकाराम कानि0 आरोपी श्री रुकमकेश मीना का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के पश्चात आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर के हवालात में सुरक्षित जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर जरिये सरकारी वाहन मय चालक के उपस्थित आए। श्री रघुवीरसिंह कानि0 की निगरानी डयूटी मामूर की। रात्रि का समय होने से दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को कल दिनांक 26.11.2022 को 7.30 ए0एम0 पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबंध कर रुखस्त किया गया। परिवादी ने बताया कि अब रात्रि अधिक हो गई है। मैं यही रुकना चाहता हूँ, जिस पर परिवादी को ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर ही रात्रि विश्राम करने की स्वीकृति दी गई।

दिनांक 26.11.2022 को समय 7.35 ए0एम0 पर पूर्व से पाबंध सुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए एवं परिवादी पूर्व से ब्यूरो चौकी पर उपस्थित है। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के रुबरु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अलमारी से डिजिटल टेप रिकार्डर बाहर निकाला एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री रुपाराम एवं आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक, जीएसएस रतनपुरा(गुडामालानी) के मध्य दिनांक 25.11.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयॉ श्री ठाकराराम कानि0 से तैयार की जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री रुकमकेश मीना एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री रुपाराम द्वारा की गई। ताबाद आरोपी श्री रुकमकेश मीना को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर लाने हेतु श्री लालाराम कानि0 एवं श्री बांकाराम कानि0 को मय सरकारी वाहन के रवाना किया, जो उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा श्री लालाराम कानि0, श्री बांकाराम कानि0 एवं श्री रघुवीरसिंह कानि0 मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री रुकमकेश मीना के सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि लेन–देन पश्चात आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक, जीएसएस रतनपुरा(गुडामालानी) के मोबाईल से संदिग्ध श्री अभय मीना कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल पर कॉल करवाकर करवाई गई प्रथम एवं द्वितीय वार्ता जो दिनांक 25.11.2022 को आरोपी श्री रुकमकेश मीना के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त दोनो वार्ताओ को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर

२४५

शब्द–बशब्द पृथक–पृथकफर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से प्रत्येक की दो–दो सीडीयॉ श्री ठाकराराम कानि0 से तैयार की जाकर एक–एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं प्रत्येक दूसरी सी.डी. को खुली रखी गई। आरोपी श्री रुकमकेश मीना एवं संदिग्ध श्री अभय मीना कनिष्ठ अभियन्ता की आवाज की पहचान परिवादी श्री रुपाराम द्वारा की गई। ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मूर्तिब की गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, रिश्वती राशि लेन–देन वार्तालाप, रिश्वती राशि लेन–देन पश्चात आरोपी श्री रुकमकेश मीना एवं संदिग्ध श्री अभय मीना कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य मोबाईल पर करवाई गई प्रथम एवं द्वितीय वार्तालाप की मूर्तिब की गई मूल एवं खुली सीडीयों को श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवायया। ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री रुकमकेश मीना को माननीय न्यायालय में पेश किया जाना है, जिस बाबत रिमाण्ड़ फार्म तैयार किया गया एवं ट्रेप कार्यवाही में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री ओमाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री सवाईराम कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री रुपाराम को रुखस्त दी गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री रुपाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन दिनांक 24.11.2022 को करवाया गया, जिस पर दिनांक 24.11.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान आरोपी श्री रुकमकेश मीना द्वारा परिवादी से वार्ता कर 10,000–11,000रुपये मांगने की वार्ता की, जिस पर परिवादी द्वारा 10,000रुपये देने की वार्ता करने पर आरोपी द्वारा सहमति प्रदान की गई। दिनांक 25.11.2022 को रुबरु गवाहान अग्रिम कार्यवाही कर आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक जीएसएस रतनपुरा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर को परिवादी श्री रुपाराम से 10,000रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुए शर्ट की बायीं जेब में रखी, जहॉ से रुबरु गवाहान रिश्वती राशि बरामद हुई। रुबरु गवाहान आरोपी के दोनो हाथो का धोवन लिये जाने पर दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं रिश्वती राशि बरादगी शर्ट की बायीं जेब का धोवन गुलाबी होना पाया गया। आरोपी श्री रुकमकेश मीना द्वारा रिश्वती राशि जेईएन के लिए प्राप्त करने एवं मोबाईल पर वार्ता करवाने का कहने पर आरोपी के मोबाईल से श्री अभय मीना जेईएन के मोबाईल पर कॉल करवाकर आरोपी श्री रुकमकेश मीना के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिर्काडर में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान श्री अभय मीना को रुकमकेश मीना ने कहा कि डूलजी वाला लड़का आया था रुपाराम, 10 हजार रुपये दिये है, जिस पर श्री अभय मीना ने कहा कि कर दी होगी, दे दी होगी सेंक्सन, जिस पर रुकमकेश मीना ने कहा मुझे तो पता नहीं है, जिस पर जेईएन ने कहा कि मैं पूछकर बताता हूँ इत्यादि वार्ता की। आरोपी श्री रुकमकेश द्वारा पुनः कॉल कर वार्ता करने पर एक बार फोन को कट कर दिया एवं पुनः कॉल लगाने पर श्री अभय मीना ने कहा कि सेंक्शन हो जायेगी, किसी से पैसे वेसे नहीं लेने है, इत्यादि वार्ता की। उक्त वार्ता से श्री अभय मीना द्वारा प्रथम वार्ता में किसी प्रकार से रिश्वत नहीं लेने की स्पष्ट मनाही नहीं की एवं द्वितीय वार्ता में रिश्वत नहीं लेने का कहा। परिवादी के पिताजी के नाम थ्री फेस कृषि कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गुड़ामालानी जिला बाड़मेर से प्राप्त की एवं आरोपी श्री रुकमकेश मीना तकनीकी सहायक को अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत दिनांक 25.11.2022 को समय 6.40 पी0एम0 पर गिरफ्तार किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वती राशि लेन–देन के पश्चात दो बार हुई मोबाईल वार्ता से श्री अभय मीना कनिष्ठ अभियन्ता की भूमिका संदिग्ध होने से अग्रिम अनुसंधान के दौरान इनकी भूमिका पर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः आरोपी श्री रुकमकेश मीना पुत्र श्री श्रवणलाल मीना उम्र 30 वर्ष जाति मीना निवासी गांव पोस्ट सेवा तहसील व पुलिस थाना बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल तकनीकी सहायक, जी0एस0एस0 रतनपुरा(गुड़ामालानी) जिला बाड़मेर एवं अन्य के विरुद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय,

(signature)

(रामनिवास)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामनिवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रूकमकेश मीना, तकनीकी सहायक, जी.एस.एस. रतनपुरा (गुड़ामालानी) बाड़मेर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 453/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26/11/22
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3914-17 दिनांक 26.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियंता(पवस), जोधपुर डिस्कॉम, बाड़मेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।

26/11/22
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।